

## हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह पंजीयन आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज की चेकलिस्ट

आवेदन जमा करने का समय प्रातः 10.30 से दोपहर 1.30

### विवाह पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज(सभी अनिवार्य)

- 1 इन्दौर जिले में निवास संबंधी प्रमाण बिजली का बिल (शर्तें लागू) / टेलीफोन का बिल (शर्तें लागू) / राशन कार्ड
- 2 रु 15 का चालान- 0075 मेरेज, जनरल मिसलेनियस
- 3 विवाह पत्रिका जिसमें विवाह स्थान, दिनांक आदि का उल्लेख हो
- 4 शादी का संयुक्त फोटो 5' 7
- 5 निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिस पर 10रु. का टिकिट चस्पा हो
- 6 वर एवं वर के माता-पिता/वैध अभिभावक का शपथ पत्र
- 7 वधू एवं वधू के माता-पिता/वैध अभिभावक का शपथ पत्र
- 8 वर-वधू का पासपोर्ट साईज़ फोटो 4 प्रति
- 9 रु 100 के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र- 4 (वर, वधू, वर की ओर से शपथकर्ता, वधू की ओर से शपथकर्ता के नाम पर)
- 10 वर, वधू, वर की ओर से शपथकर्ता, वधू की ओर से शपथकर्ता एवं पंडित को समक्ष में प्रस्तुत होना अनिवार्य है
- 11 माता-पिता के जीवित होने पर माता - पिता का शपथपत्र / माता-पिता की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र
- 12 पंडित का ओर से शपथपत्र मय आधारकार्ड
- 13 वर-वधू का संयुक्त रु 100 का निरसित स्टाम्प
- 14 जाति प्रमाण पत्र - अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी
- 15 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में - 6 प्रतियों में

### विवाह पंजीयन हेतु जन्म दिनांक संबंधी प्रमाण (वैकल्पिक)

- 1 वर का जन्म प्रमाण /5वी/8वी/10वी/12वी की अंक सूची
- 2 वधू का जन्म प्रमाण /5वी/8वी/10वी/12वी की अंक सूची
- 3 वर के अशिक्षित होने पर वर का आयु संबंधी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र
- 4 वधू के अशिक्षित होने पर वधू का आयु संबंधी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र

### वैवाहिक स्थिति संबंधी प्रमाण(जो लागू हो)

- 1 पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं इस संबंध में पत्नी का शपथ-पत्र
- 2 पूर्व पत्नी का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं इस संबंध में पति का शपथ-पत्र
- 3 पति से तलाकशुदा होने पर न्यायालय की डिक्री(पूर्व में विवाह विच्छेद होने की स्थिति में)
- 4 पत्नी से तलाकशुदा होने पर न्यायालय की डिक्री(पूर्व में विवाह विच्छेद होने की स्थिति में)

### अन्य कोई दस्तावेज

- 1 अन्य कोई दस्तावेज
- 2 पासपोर्ट की छायाप्रति
- 3 वधू का उपनाम परिवर्तन संबंधी दस्तावेज